न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1735 / 2025
सुपौल थाना कांड सं0– 643 / 2020

	1. मो0 अनबारूल हक उर्फ अनबारूल पे0 स्व0 मो0 मोहीउद्दीन **2. मो0 नौशाद उर्फ नौशाद आलम पे0 स्व0मोहीउद्दीन** **3. मो0 मंजर उर्फ मो0 सादुल्लाह पे0 मो0 शफी अहमद उर्फ मो0 सफीक अहमद** **4. मो0 अमजद उर्फ अमजद हुसैन उर्फ सादुल्लाह पे0 मो0 मंजर** **5. मो0 मेहराब उर्फ मेहराब आलम पे0 महीउद्दीन** **6. मो ऐखलाक उर्फ मो0 अमन अखलाक पे0 मो0 मेहराब आलम** **सा0– महेशपुर, थाना–पिपरा, जिला–सुपौल .....आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी**	
24/03/26	प्रार्थी अभियुक्तगण मो0 अनबारूल हक उर्फ अनबारूल, मो0 नौशाद उर्फ नौशाद आलम, मो0 मंजर उर्फ मो0 सादुल्लाह, मो0 अमजद उर्फ अमजद हुसैन उर्फ सादुल्लाह, मो0 मेहराब उर्फ मेहराब आलम एवं मो ऐखलाक उर्फ मो0 अमन अखलाक की ओर से सुपौल थाना कांड संख्या– 643 / 202 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 कुर्बान मंसुरी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण को ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत् गलत ढंग से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त मो0 नौशाद के विरुद्ध पूर्व से सुपौल थाना कांड सं0 739 / 22 गवाही पर चल रहा है वो अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध इस केस के अलावे अन्य कोई दूसरा केस दर्ज नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि उनपर मारपीट करने का अस्पष्ट आरोप नहीं बनता है तथा दिनांक 05 / 9 / 2020 की घटना को लेकर दिनांक 11 / 09 / 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक मो0 अबु जफ़र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सुचिका जहाना खातुन के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तगण सहित कुल 12 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 354(B), 504/34 भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचिका का कथन है कि उनका लड़का इरफान खाना खाकर सड़क पर टहलने निकला कि अचानक मो0 मेहराब, मो0 सरफराज, मो0 एखलाक जबरदस्ती उसे उठाकर ले जा रह था वह शोर गुल करने लगा जिसपर सूचिका दौड़कर पहुँची तो देखी कि उसका लड़का को सड़क पर मो0 जहिदुर्रहमान, मो0 अनवारूल हक, मो0 अनसारूल, मो0 फेफायुल हक, मो0 नौशाद, मो0 मंजर, मो0 अमजद, मो0 चांद अपने–अपने हाथों में लोहे का रॉड एवं डंडा, फरसा से उसके लड़का को बेरहमी से पीट रहा था। जब सूचिका अपने बेटे को बचाव करना चाही तो मो0 मेहराब एवं मो0 जहिदुर्रहमान ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी साड़ी खींचकर नंगा करते हुए उसके हाथ एवं पैर को बांध दिया और उसके लड़का को उसके समक्ष बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा और मो0 जहिदुर्रहमान ने अपने हाथ में लिए छुरा से मो0 इरफान के सिर पर जोर से मारा जिससे	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1735 / 2025
सुपौल थाना कांड सं0– 643 / 2020

24/03/26 **लगातार**	उसका बेटा इरफान बेहोश होकर गिर पड़ा तभी सभी अभियुक्तगण यह कहते हुए घटनास्थल से भागे कि चलो अब साला मर गया फर जब सूचिका जोर–जोर से चिल्लाई तो ग्रामीण लोग जमा हुए और उसका बंधा हुआ हाथ पैर खोला और इन्हीं ग्रामीणों से सहयोग से सूचिका ने अपने लड़का को सदर अस्पताल ले जाकर ईलाज करवायी। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों पर गाली–गलौज, मारपीट कर जख्मी करने एवं सूचिका के साथ अभ्रद व्यवहार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के कंडिका 6 एवं 7 में साक्षीगण क्रमशः मो0 मंसुर एवं मो0 तनवीर का बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण का वादिनी एवं उनके बेटे के साथ पूर्व में किसी बात को लेकर झंझट हुआ था उसी बात को लेकर गाली गलौज एवं मारपीट की घटना हुई थी तथा साक्षियों ने प्रार्थी अभियुक्तों पर सूचिका के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि सूचिका के बेटे मो0 इरफान को अभियुक्त जहिदुरर्हमान ने जख्म कारित किया था जो कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के प्रार्थी अभियुक्त नहीं है तथा अभिलेख पर जख्मी का जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है जिससे स्पष्ट होता है कि जख्मी को जख्म कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित की गयी है जिसे चिकित्सक ने साधारण प्रकृति का बताया है। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है उनपर लगाया गया आरोप सामान्य प्रकृति का है तथा कंडिका 61 में प्रार्थी अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण 1. मो0 अनबारूल हक उर्फ अनबारूल 2. मो0 नौशाद उर्फ नौशाद आलम 3. मो0 मंजर उर्फ मो0 सादुल्लाह 4. मो0 अमजद उर्फ अमजद हुसैन उर्फ सादुल्लाह एवं 5. मो0 मेहराब उर्फ मेहराब आलम एवं 6. मो0 ऐखलाक उर्फ मो0 अमन अखलाक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्तगण को मो0 10,000 रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि:– 1. प्रार्थी अभियुक्तगण का एक–एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 3. प्रार्थी अभियुक्तगण वाद के विचारण में सहयोग करेगा। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	

न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय

अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1735 / 2025

सुपौल थाना कांड सं0– 643 / 2020